कार्यालय परियोजना प्रबन्धन इकाई–स्वजल परियोजना,
उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना, (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड),
द इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्जिनियर्स बिल्डिगं, (आपोजिट आई0एस0बी0टी0), देहरादून
Email: pmu_uttaranchal@rediffmail.com

अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EXPRESSIONS OF INTREST)

परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य, स्वच्छता संरचनाओं के स्थायित्व (व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के प्रयोग, संचालन एवं रखरखाव सहित) के साथ–साथ ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों द्वारा संचालित एकल पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव/स्थायित्व तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के स्रोत संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य, ग्रामीण पेयजल योजनाओं का आधारभूत सर्वेक्षण(Baseline survey) व स्रोत, जलगुणवता से सम्बन्धित आंकडे एकत्रीकरण (Data Collection), इत्यादि कार्य समस्त उत्तराखण्ड में स्वजल परियोजना की जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयों के माध्यम से किये जाने है। राज्य/जनपद स्तर पर उक्त कार्यों के संचालन, सामुदायिक जन–जागरूकता (आई.ई.सी.), मानव संसाधन विकास (कार्यशाला/प्रशिक्षण इत्यादि) एवं अन्य गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में इच्छुक अनुभवी गैरसरकारी/स्वैच्छिक संस्थाओं को सहयोगी संस्था के रूप में कार्य के लिये सूचीबद्व (empanelled) करने हेतु **अभिव्यक्ति की अभिरूचि** (Expression of Interest), दिनांक 05 जून, 2017 सांय 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं।

अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Expression of Interest) की विस्तृत जानकारी/सूचना विभागीय वेबसाईट http://swajal.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

निदेशक

परियोजना प्रबन्धन इकाई,
स्वजल परियोजना
उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना,
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)
दि इन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्जीनियर्स बिल्डिंग, प्रथम तल
दिल्ली (सहारनपुर) रोड, अपोजिट आई0एस0बी0टी0,देहरादून –248002
फोन : 0135-2643455, 2643380 फैक्स : 0135-2643381
वैब साईट: http://swajal.uk.gov.in ई मेल : pmu_uttaranchal@rediffmail.com

आवेदन पत्र (Application Form)

परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य, स्वच्छता संरचनाओं के स्थायित्व (व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के प्रयोग, संचालन एवं रखरखाव सहित) के साथ–साथ ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों द्वारा संचालित एकल पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव/स्थायित्व तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के स्रोत संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य, ग्रामीण पेयजल योजनाओं का आधारभूत सर्वेक्षण (Baseline survey), स्रोत, जलगुणवत्ता से सम्बन्धित आंकडे एकत्रीकरण (Data Collection), इत्यादि कार्यों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में इच्छुक अनुभवी गैरसरकारी/स्वैच्छिक संसथाओं को सहयोगी संस्था के रूप में कार्य के लिये सूचीबद्व (empanelled) करने हेतु **अभिव्यक्ति की अभिरूचि** (Expression of Interest) प्रस्ताव प्रेषित करने का प्रपत्र

1. आवेदन करने वाली सहयोगी संस्था का नाम–
2. मुख्य कार्यालय (पंजीकृत) का पता–
   (पत्राचार हेतु)
3. क्षेत्रीय कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता–
4. दूरभाष संख्या (कार्यालय) –
   (मोबाईल न0)–
5. ई–मेल आई.डी–
6. मुख्य कार्यकारी का नाम– मोबाईल नं0 –
7. सहयोगी संस्था के रूप मे कार्य किये जाने हेतु बरीयताक्रम के न्यूनतम 3 जनपद–
8. पंजीकरण का दिनांक एवं संख्या–
   (पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
9. सहयोगी संस्था के बॉयलाज मे पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र मे कार्य करने का उल्लेख है अथवा नही (हां/नही) –
   (यदि हां तो बॉयलाज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

10.संस्था का पेयजल एवं जल स्रोत संरक्षण मे उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने कार्य करने का अनुभव (वर्षों में)– (प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें)

11. विगत 03 वर्षो में औसत वार्षिक टर्न ओवर (रू0 लाख में)–

12. सहयोगी संस्था द्वारा चार्टड एकाउण्टटैंट से न्यूनतम 3 वर्षों का ऑडिट करवाया गया है अथवा नही (हां/नही)
यदि हां तो विगत 3 वर्षों की ऑडिट शीट की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

13. संस्था को पूर्व मे सरकारी तौर पर काली सूची (Black Listed) में डाला गया है (हां/नही)
(यदि नही तो उक्त आशय का शपथ पत्र संलग्न किया जाय)

14. क्या आवदेनकर्ता संस्था किसी दूसरी संस्था/एजेन्सी के साथ सम्बद्ध है/सम्बद्ध होने के लिये सहमत है (हां/नही)
(यदि हां तो पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें)

15. सहयोगी संस्था मे कार्यरत (सहयोगी संस्थाओं के चयन हेतु पात्रता मे दिये गये विवरण के अनुसार) पर्याप्त स्टाफ/विशेषज्ञ हैं अथवा नही(हां/नही)

16. यदि हां तो विवरण उपलब्ध करवायें तथा संबंधित स्टाफ/विशेषज्ञ का बायोडाटा निम्न विवरणानुसार शैक्षिक योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें)

क0संख्या	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	संख्या	अनुभव
1	सोशल साइंटिस्ट (सामुदायिक विकास विशेषज्ञ)			
2	अभियन्ता (तकनीकी)			
3	पर्यावरण/ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन विशेषज्ञ			
4	लेखाकार			
5	कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर			
6	अन्य			

प्रमाणित किया जाता है कि सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करने हेतु हमारे द्वारा प्रसताव–पपत्र में उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त समस्त जानकारी/सूचनायें (प्रमाण–पत्रों सहित) पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है।

दिनांक– नाम (मुख्य कार्यकारी)
स्थान– एवं हस्ताक्षर (मुहर सहित)

परियोजना प्रबन्धन इकाई,
स्वजल परियोजना
उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना,
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)
दि इन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्जीनियर्स बिल्डिंग, प्रथम तल
दिल्ली (सहारनपुर) रोड, अपोजिट आई0एस0बी0टी0,देहरादून –248002
फोन : 0135-2643455, 2643380 फैक्स : 0135-2643381
वैब साईट: http://swajal.uk.gov.in ई मेल : pmu_uttaranchal@rediffmail.com

पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)

परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य, स्वच्छता संरचनाओं के स्थायित्व (व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के प्रयोग, संचालन एवं रखरखाव सहित) के साथ–साथ ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों द्वारा संचालित एकल पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव/स्थायित्व तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के स्रोत संरक्षण एवं संर्वधन का कार्य, ग्रामीण पेयजल योजनाओं का आधारभूत सर्वेक्षण (Baseline survey), स्रोत, जलगुणवत्ता से सम्बन्धित आंकडे एकत्रीकरण (Data Collection) , इत्यादि कार्यो के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में इच्छुक अनुभवी गैरसरकारी/स्वैच्छिक संस्थाओं को सहयोगी संस्था के रूप में कार्य के लिये सूचीबद्व (empanelled) करने हेतु **अभिव्यक्ति की अभिरूचि** (Expression of Interest) हेतु पात्रता की शर्तें।

1.सहयोगी संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हों।
2.न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना एवं वर्तमान मे कार्यरत होना अनिवार्य।
3.संस्था का ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने मे न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
4.संस्था के पास उत्तराखण्ड राज्य में अपना कार्यालय हो।
5.संस्था के पास टीमलीडर के अतिरिक्त न्यूनतम एक सोशल साइंटिस्ट/सामुदायिक विकास विशेषज्ञ (सामाजिक विज्ञान/सामाजिक कार्य मे स्नात्कोत्तर एवं न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव), एक अभियन्ता (सिविल अभियन्त्रिकी मे डिग्री व न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव अथवा सिविल अभियान्त्रिकी मे डिप्लोमा एवं न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव), एक पर्यावरण विशेषज्ञ/ ठोस एवं तरल अपशिष्ट विशेषज्ञ (पर्यावरण/वनस्पति विज्ञान/वानिकी मे स्नात्कोत्तर एवं न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव, एक लेखाकार (बी.कॉम एवं न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव) तथा एक कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (6 माह अवधि का कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स एवं न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, न्यूनतम स्टाफ/विषय विशेषज्ञों के रूप मे कार्यरत हों।
6.विगत 03 वर्षो में औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 5 लाख हो।
7.चार्टर्ड एकाउण्टैन्ट से विगत 3 वर्ष का ऑडिट प्रमाण पत्र/बैलैंस सीट उपलब्ध हों।
8.संस्था के बॉयलॉज मे ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता/पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र मे कार्य करने का उल्लेख किया गया हो।
9.संस्था को पूर्व में सरकारी तौर पर काली सूची (Black Listed) में न डाला गया हों।
10. संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी /सूचना का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा, तथा किसी भी विन्दु पर जानकारी/सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र पर कोई विचार न करते हुये निरस्त कर दिया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर परियोजना प्रबन्धन इकाई/जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई(स्वजल परियोजना) का निर्णय अंतिम होगा।

11. अर्ह संस्थाओं का पंजीकरण (empanelment) जनपदवार किया जायेगा।

12. उपरोक्त **अभिव्यक्ति की अभिरूचि** (Expression of Interest) मे अपरिहार्य कारणों से यदि कोई संशोधन/परिवर्तन इत्यादि किया जाता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित वैबसाईट http://swajal.uk.gov.in पर ही सूचित किया जा सकेगा, अतः उपरोक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

1. सहयोगी संस्था के रूप मे कार्यदायित्व –

(i) स्वजल परियोजना द्वारा समस्त जनपदों मे समय–समय पर स्वीकृत/संचालित की जाने वाली परियोजनाओं/गतिविधियों मे सहयोगी संस्था के रूप मे कार्य करना, तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति तथा जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के बीच समन्वय स्थापित करना।

(ii) समय–समय पर स्वीकृत/संचालित होने वाली परियोजनाओं/ गतिविधियों के अनुसार जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई से नियमानुसार अनुबन्ध करना एवं सम्बन्धित परियोजना/गतिविधियों के सम्बन्ध मे प्रचार व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

(iii) चयनित परियोजना/गतिविधियों की आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कलस्टर स्तरीय बैठकों को संचालन करना।

(iv) स्वीकृत/चयनित परियोजनाओं/गतिविधियों हेतु आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों/ महिला स्वयं सहायता समूह/ अन्य समितियों का गठन करना।

(v) स्वीकृत/चयनित परियोजनाओं के अनुरूप आवश्यकतानुसार गतिविधियों के चयन मे ग्रामीण समुदाय का सहयोग करना एवं अंतिम रूप से चयनित गतिविधियों को ग्राम पंचायत की आम बैठक मे कार्य सहमति बैठकों (Agree to Do meeting) के माध्यम से अनुमोदन करवाना।

(vi) ग्राम पंचायतों को निरन्तर स्वच्छ (Sustainable cleanliness) बनाये रखने हेतु चयनित/आबंटित ग्राम पंचायतों मे स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, निबन्ध/चार्ट/वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, रैलियों, दीवार लेखन, स्वास्थ्य शिक्षा शिविर, क्षेत्र भ्रमण, स्वस्थ–घर सर्वेक्षण, सामुहिक सफाई अभियान, सामुदायिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(vii) ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित शौचालयों का शत–प्रतिशत प्रयोग करने, नियमित स्वच्छता बनाये रखने, हेतु जनजागरूकता करना, ग्राम पंचायत को ओडीएफ श्रेणी बनाये रखने मे सहयोग करना तथा आवश्यकतानुसार निर्मित शौचालयों की फोटोग्राफी तथा उक्त फोटों को भारत सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने मे जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयों का सहयोग करना।

(viii) ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की जानकारी प्रदान करना, चयनित ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु तैयार की जाने वाली कम लागत/स्थानीय संसाधनों के अनुरूप विकल्पों की जानकारी प्रदान करना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के नियोजन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्र/भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न संरचनाओं के चयन, सर्वेक्षण, डी.पी.आर. तैयार इत्यादि तैयार करने मे ग्राम पंचायतों/जनसमुदाय तथा जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

(ix)चयनित/आंबटित परियोजना/गतिविधियों में आवश्यकतानुसार समय–समय पर पी.एम.यू./डी. पी.एम.यू./अन्य रेखीय विभागों, के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षणों में, नामित किये जाने पर ससमय नियमानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना।

(x)चयनित/आंबटित परियोजनाओं/गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर जनसमुदाय को प्रशिक्षित करना।

(xi) ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत/चयनित परियोजना की मांग के अनुरूप पेयजल स्रोतों का श्राव मापन, फील्ड टैस्ट किट से परीक्षणोंपरान्त परीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध करवाना।

(xii)स्वीकृत/चयनित परियोजना के अनुसार आंबटित ग्राम पंचायत मे एकल पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु जन–जागरूकता, प्रशिक्षण, इत्यादि के माध्यम से जनसमुदाय को आत्मनिर्भर बनाना एवं पेयजल योजना के स्थायी संचालन एवं रखरखाव हेतु सहयोग करना।

(xiii)स्वीकृत/चयनित परियोजनान्तर्गत जल स्रोत संरक्षण एवं संवर्धन एवं पेयजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु आवश्यकतानुसार, ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन/क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव में सहयोग करना।

(xiii) आगामी विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत होने वाली पेरीअर्बन पेयजल योजनाओं हेतु आधारभूत सर्वेक्षण, पेयजल स्रोतों कें आंकडे एकत्रीकरण (स्रोत मापन, जी.पी.एस. कोर्डिनेट सहित फोटोग्राफी, जल गुणवत्ता इत्यादि), जनजागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।

(xiv)आंबटित ग्राम पंचायत/पंचायतों को अंशदान एकत्रण, खाता संचालन व निर्माण कार्य के दौरान व्यय हुई धनराशि का विवरण अभिलेखित करनें मे सहयोग प्रदान करना एवं समय–समय पर सम्बन्धित समिति सदस्यों को लेखा एवं अन्य दस्तोवजीकरण के सम्बन्ध मे प्रशिक्षित करना।

(xv) समय–समय पर स्वजल परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत/चयनित योजना/गतिविधिनुसार एवं आंबटित कार्यों हेतु योजनान्तर्गत जनपदीय इकाईयों के साथ अनुबन्ध/निमानुसार/सेवा–शर्तों के अनुसार ससमय कार्यों का सम्पादन करना।

(xvi)स्वजल परियोजना द्वारा सम्बन्धित सूचीबद्ध सहयोगी संस्थाओं को समय–समय पर स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष विभिन्न जनपदों हेतु चयनित एवं जनपद स्तर पर अनुबन्धित किया जा सकेगा तथा योजना के स्वरूप/नीति के अनुसार ही तैयार किये जाने वाले अनुबन्ध, सेवा–शर्तों तथा विशिष्ट कार्यदायित्वों (Specific Role and Responsibility) इत्यादि का उल्लेख तद्नुसार ही किया जा सकेगा।

2. सहयोगी संस्था को देय धनराशि– वर्तमान समय मे सहयोगी संस्थाओं को स्वजल परियोजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं/भविष्य मे स्वीकृत होने वाली योजनाओं के नियोजन/क्रियान्वन तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है, उक्त हेतु अलग–अलग परियोजनाओं मे किये जाने वाले कार्यों, नियमों, तथा सम्बन्धित योजना/परियोजना मे अनुमन्य वित्त व्यवस्था के आधार पर सहयोगी संस्था के साथ परियोजनावार अलग–अलग अनुबन्ध तैयार किये जायेंगे, तद्नुसार ही विशिष्ट सेवा–शर्तों (Project Specific Role and Responsibility) के साथ–साथ योजना/परियोजना मे अनुमन्य वित्तीय संसाधनों व सरकारी मानकों के अनुरूप ही सहयोगी संस्था को देय धनराशि का निर्धारण किया जायेगा।